न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 21/2018

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 मुमलदेवी पुत्री शम्भूराम पत्नी गजाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास रामसर तहसील रामसर 2 मरूओंदेवी पुत्री शम्भूराम पत्नी पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी मिठीया तला, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत महाबार 2 गोपाराम पुत्र मुकनाराम 3 समधा पत्नी मुकनाराम 4 आसूराम 5 थानाराम 6 चम्पालाल 7 बाबुलाल पिसरान आलाराम 8 वरजूदेवी पत्नी आलाराम जाति मेघवाल निवासी जैतमालपुर, महाबार तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सुरेश पूनड़, वकील अपीलकर्तागण।

2 श्री अनिल कुमार गर्ग, वकील उतरदाता संख्या 04 से 08।

आदेश

दिनांक 22/09/22

संक्षिप्त में अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वक्त सेटलमेन्ट से अपीलान्टगण के पिता शम्भूराम एवं उनके भाई मुकनाराम, आनाराम उर्फ आलाराम पिसरान सुखराम के नाम मौजा महाबार के खेत खसरा संख्या 1155/1 वर्तमान खसरा संख्या 2179/1155 रकबा 24.14 बीघा, खसरा संख्या 1154 रकबा 0.02 बीघा भूमि दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पिता शम्भूराम के एकल खातेदारी के मौजा महाबार हाल मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्टगण के पिता शम्भूराम की फौतगी पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 716 के द्वारा शम्भूराम को लाऔलाद फौत बताते हुए सम्पूर्ण रकबे के हक हिस्से की भूमि को उनके भाईयों के नाम करते हुए अपीलान्टगण का नाम विधि के तथ्यों की अनदेखी कर नामान्तकरण पारित किया गया जो शून्य होने से निस्प्रभावी है। अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 02 से 08 की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा महाबार हाल जैतमालपुरा के खसरा संख्या 1154, 2179/1155 रकबा क्रमशः 0.02 व 24.14 बीघा भूमि तथा अपीलान्ट के पिता शम्भूराम के एकल खातेदारी के मौजा महाबार हाल मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि स्थित थी तथा राजस्व रेकर्ड में अंकित थी। वर्ष 1975–76 में अपीलान्टगण के पिता का देहान्त हो गया तथा अपीलान्टगण नाबालिग थे तथा राजस्व प्रक्रिया को नही समझते थे तथा तत्समय पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा शम्भूराम की नाबालिग लड़कियो का नाम अंकित नही कर नामान्तकरण संख्या 716 दिनांक 14.10.1977 को कायम कर नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु दिनांक 15.10.1977 को ग्राम पंचायत के समक्ष तारीख का अंकन किये बिना ही स्वीकृत कर अपीलान्टगण के हिस्से की भूमि को मुकना व आना उर्फ आला पिसरान सुखा की खातेदारी में अंकित कर दी गई। वादग्रस्त आराजी मौजा महाबार हाल जैतमालपुरा के खसरा संख्या 1154, 2179/1155 रकबा क्रमशः 0.02 व 24.14 बीघा भूमि में अपीलान्टगण का उनके पिता के 1/3 हिस्से अनुसार उनका भी 1/3 हिस्सा तथा मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि सम्पूर्ण रकबे में अपीलान्टगण का हिस्सा होने से खातेदारी में अंकन करवाने का निवेदन किया है। मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 716 स्वीकृत कर अपीलान्टगण

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

के हिस्से की भूमि को मुकना व आना उर्फ आला पिसरान सुखा की खातेदारी में अंकन होने पर उतरदाता संख्या 02 से 08, अपीलकर्तागण को बेचान करने की धमकीयां दे रहे है। लिहाजा अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 716 को स्वीकार किया गया, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलकर्तागण के नाम खातेदारी में शम्भूराम के वैद्य वारिसान के रूप में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 716 जो उतरदाता संख्या 01 द्वारा भरा गया नामान्तकरण में काननून भारी भूल की है। शम्भूराम का देहान्त वर्ष 1975–76 को हो चुका था उस समय अपीलान्टगण नाबालिग थे तथा राजस्व प्रक्रिया को नही समझते थे तथा तत्समय पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा शम्भूराम की नाबालिग लड़कियो का नाम अंकित नही कर नामान्तकरण संख्या 716 दिनांक 14.10.1977 को कायम कर नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु दिनांक 15.10.1977 को ग्राम पंचायत के समक्ष तारीख का अंकन किये बिना ही स्वीकृत कर अपीलान्टगण के हिस्से की भूमि को मुकना व आना उर्फ आला पिसरान सुखा का नाम अंकित कर दिया। उक्त नामान्तकरण का फायदा उठाकर अपीलकर्तागण को बेचान करने की धमकिया दी तब उक्त नामान्तकरण की नकले प्राप्त करने हेतु अपीलान्टगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 26.09.2018 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त हुई, जिस समय सर्वप्रथम अपीलकर्तागण को उक्त नामान्तकरण संख्या 716 का ज्ञान हुआ, जो कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल है। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 04 से 08 उपस्थित। शेष उतरदातागण ईकतरफा। वकील उतरदाता संख्या 04 से 08 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलकर्तागण के पिता शम्भूराम, उतरदाता संख्या 04 से 08 के पिता आलाराम एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 के पिता मुकनाराम सगे भाई है। मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 716 स्वीकृत किया गया जो कानूनन गलत है तथा उक्त नामान्तकरण अपीलकर्तागण के नाम पारित किया जाना था, जो शम्भूराम की विधिक वारिशान है। यदि मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में अपीलकर्तागण के नाम खातेदारी में अंकित की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। शम्भूराम की फौत के समय उनकी दो जायन्दा पुत्रिया मूमलदेवी व मरूआदेवी जीवित थी, उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही हुए।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली तथा जवाब के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्वर्गीय शम्भूराम की अपीलन्टगण जायन्दा दो पुत्रियां है। स्वर्गीय शम्भूराम का देहान्त हो चुका है तथा अपीलकर्तागण उसकी विधिक वारिसान है। ग्राम पंचायत महाबार द्वारा नामान्तकरण संख्या 716 को स्वीकार किया गया, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलकर्तागण के नाम शम्भूराम के हिस्से की खातेदारी में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुना गया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा विशनपुरा के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 716 में वारिसों की जांच किये बिना भरा गया नामान्तकरण संख्या 716 को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा महाबार के खेत खसरा संख्या 1155/1 वर्तमान खसरा संख्या 2179/1155 रकबा 24.14 बीघा, खसरा संख्या 1154 रकबा 0.02 बीघा भूमि तथा मौजा विशनपुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तकरण संख्या 716 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा महाबार के खेत खसरा संख्या 1155/1 वर्तमान खसरा संख्या 2179/1155 रकबा 24.14 बीघा, खसरा संख्या 1154 रकबा 0.02 बीघा भूमि तथा मौजा विशनपुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1195 रकबा 42.16 बीघा भूमि में शम्भूराम पुत्र सूखाराम के वैध वारिसान की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर